22.50 hrs.

Title: Introduction of the Uttar Pradesh Budget, 2002-2003; Demands for Grants on Account (Uttar Pradesh), 2002-03 and Demands for Supplementary Grants(Uttar Pradesh),2001-02. (Concluded)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now let us take the next itemâ€"Uttar Pradesh Budget.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of .. . .

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Sir, I have a point of order....(*Interruptions*) Point of order has the precedence.

Sir, in U.P. the President's Rule is imposed. Now that proclamation has to be approved by Parliament. Parliament means the Lok Sabha and the Rajya Sabha. It cannot be passed only by Lok Sabha or only by Rajya Sabha. The hon. Minister is trying to introduce the Vote on Account and the Appropriation Bill in this House and wants to get the sanction for the expenditure. Now that has to be sanctioned only by Lok Sabha and not by Rajya Sabha. So, if the President's Rule is not approved by the Lok Sabha and the Rajya Sabha, afterwards what happens to the Bill, what happens to the Budget? It would be presented to this House and it would be passed. Now this Parliament does not approve the President's Rule in U.P. but this Lok Sabha approves the Budget, this is a contradiction. So, that is why, if a situation like this arises, it would have been proper for the Government to move the Resolution for the approval of the President's Rule in U.P. first, and then to move the Bill for getting the sanction to the expenditure to be committed in U.P. That has not been done here. That is why, an anomaly will arise. A constitutional anomaly will arise and that constitutional anomaly will create the problem.

In Bommai's case, the Supreme Court has held that the House should not be dissolved before the approval of the President's Rule or approval of the action taken by the President by both the Houses. It has to be done only after that. That was done in order to avoid this kind of anomaly. But here we are in a situation in which the Budget is submitted to this House; we are expected to consider it and take a decision on it; and the President's Rule will come up in this House afterwards. Then it will go to the Rajya Sabha and it will be passed. There would be a big constitutional anomaly. That is why, I am submitting that a correct and an explicit ruling needs to be given on this so that we do not commit constitutional blunders. I seek that kind of ruling from the Chair.

उपाध्यक्ष महोदय : क्या इसी विाय पर आपका भी व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री शिवराज पाटील ने जो कहा, हम भी वही कहना चाहते हैं कि यह संवैधानिक मामला है कि राट्रपति शासन को अभी तक लोक सभा की स्वीकृति नहीं मिली है। जब राट्रपति शासन की स्वीकृति नहीं मिली है तो जो वोट आन ऐकाउंट ले रहे हैं, यह परम्परा अच्छी नहीं है। एक तो हम बहस में जाएंगे, यहां बहस नहीं होगी, तो cÉä जनता के बीच में जाएंगे ।

जिस तरीके से राट्रपति शासन लागू किया गया है, वह भी असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के अन्दर कई राजनीतिक मंचों पर बहस हुई, सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जज से लेकर, सभी ने पूर्णतया असंवैधानिक बताया। राट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, लेकिन जब संसद की स्वीकृति नहीं मिली है और वोट ऑन एकाउंट यहां पेश किया गया है, यह परम्परा अच्छी नहीं है। कोई भी सरकार केवल बहुमत के बल पर या कभी-कभी संविधान की कहीं कोई धारा या उप-धारा का सहारा लेकर नहीं चलती। जो असल सरकार चलाने का तरीका है, उसमें नैतिकता सर्वोच्च है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार चलाने के लिए नैतिकता सर्वोच्च है। यह सरकार हर कार्य अनैतिक तरीके से कर रही है। इसलिए हमारी मांग है कि आप राट्रपति शासन की स्वीकृति इस सदन से लें। उसके बाद ही वोट आँन एकाउंट पेश किया जाये।

इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, आपसे हमारा अनुरोध है कि यह मामला जो अभी पाटिल जी ने कहा, वोट आँन एकाउंट पेश करने की अनुमति न दी जाये जब तक राट्रपति शासन के सदन की स्वीकृति नहीं मिल जाती है क्योंकि राट्रपति शासन की अनुमति के बगैर बजट पेश किया जा रहा है। यह विसंगति पैदा की जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ऐसी व्यवस्था दें कि इन परम्पराओं और नैतिकता को बनाये रखना भी लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, यह अलोकतंत्रीय काम है कि बिना सदन की स्वीकृति के, लोक सभा की स्वीकृति के बजट पेश किया जा रहा है । बजट पेश होने का मतलब हम सभी जानते हैं। यह सही है कि अगर राट्रपति शासन की स्वीकृति पहले ले लेंगे तो ठीक है, फिर तो पास करना है। इसको हम कोई जबरदस्ती रोकने के लिए भी तैयार नहीं हैं, लेकिन एक नैतिकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि संविधान और कानून से भी कभी कोई सहारा मिल जाता है, उससे ही काम नहीं चलता। प्रधानमंत्री जी, नैतिकता सर्वोच्च है, जो सरकार चलाई जाती है या लोकतंत्र चलाया जायेगा तो उसमें नैतिकता सर्वोच्च है, इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष जी, हम आपसे जरूर चाहेंगे कि ऐसी व्यवस्था दें, जिससे देश के अन्दर जो परम्पराएं चल रही हैं, जो लोकतांत्रिक परम्पराओं को तहस नहस किया जा रहा है, नैतिक मूल्यों को तोड़ा जा रहा है, मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है, इस पर रोक लगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका भी यही प्रश्न है?

SHRI PRABODH PANDA (MIDNAPORE): I associate myself with the views that have been expressed here.

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : उपाध्यक्ष जी, दो मुद्दे उठाये गये हैं। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने परम्परा से जुड़ा मुद्दा उठाया है और शिवराज पाटिल जी ने यह मुद्दा उठाया है कि क्या हम संविधान की दृटि से कोई गलत काम कर रहे हैं, इस प्रकार की आशंका प्रकट की गई है।

धारा 356 के अन्तर्गत जब भी राट्रपति शासन किसी प्रदेश में लागू होता है तो वह तुरन्त प्रभावी होता है। यह सच है कि दोनों सदनों से दो महीने के अन्तर्गत अगर उसकी स्वीकृति न मिले, स्वीकृति न मिले या सरकार स्वीकृति न मांगे, तो दो महीने के बाद यह राट्रपति शासन अपने आप या तो किसी एक सदन में हारने के

कारण या सरकार ने वह लाया नहीं, इस कारण दो महीने के पश्चात निप्रभावी हो जाता है। लेकिन जिन दो महीनों के अन्तर्गत यह राट्रपति शासन लागू होता है, वह तुरन्त प्रभावी रहता है और अपनी पूर्ण शक्ति में प्रभावी रहता है। हम सब संसद सदस्य जानते हैं कि जब राट्रपति शासन आता है तो जो सारे राज्य के प्रशासनिक अधिकार होते हैं, वे प्रशासनिक अधिकार राज्यपाल के पास चले जाते हैं और जो कानूनी अधिकार होते हैं, जो कानून बनाने के अदिकार होते हैं, वे संसद के पास आ जाते हैं और इसलिए हम संसद में बजट लेकर आये हैं, इसलिए पहले दो महीने के अन्दर यह तुरन्त प्रभावी हो जाते हैं, यह पहला मुद्दा हमें ध्यान रखना चाहिए अथवा पास होने के लिए रुके नहीं रहते।

दूसरा मुद्दा यह है कि अभी जो वोट ऑन एकाउण्ट यहां पेश किया जा रहा है, वह कोई उत्तर प्रदेश का पूर्ण बजट नहीं है। यह वोट ऑन एकाउण्ट है, अगर यह वोट ऑन एकाउण्ट हम आज पेश न करें, जिससे कल राज्य सभा में भी पास करना जरूरी है तो वहां एक अप्रैल से संवैधानिक संकट खड़ा हो जायेगा, जिस संकट के कारण हम वहां तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। तीसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट का उल्लेख किया गया, हम पहले तो इस बात को समझ लें कि बोम्मई का जजमेंट 1994 में आया था।

23.00 ण्द्धद्

उस जजमेंट के पहले बहुत बार राट्रपति शासन लगाकर विधान सभाएं विसर्जित की जा चुकी हैं। जब बोम्मई का मामला उठा, मैं उसके पूरे इतिहास में नहीं जाना चाहता कि बोम्मई केस में राट्रपति शासन किसने लगाया। जिस किसी ने भी लगाया हो, जब विधान सभा विसर्जित हुई, तब यह मुद्दा आया कि विधान सभा का िवसर्जन इरविर्सबिल प्रोसेस बन जाता है, अगर संविधान उसे ठुकराए। मैं पूरी जजमेंट इस समय रात को 11 बजे पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा। बोम्मई केस के जजमेंट की विस्तार से चर्चा करने के बाद केवल इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि अगर आपको किसी विधान सभा का विसर्जन करना है तो, आप तुरंत मत करिए, क्योंकि अगर आप विधान सभा का तुरंत विसर्जन करेंगे और संसद अगर राट्रपति शासन की अनुमति न दे, तो उस विधान सभा को हम पुनर्जीवित नहीं कर सकते। यह बात इस बजट के लिए लागू नहीं होती। इस बजट में आने वाली सरकार जो चाहे परिवर्तन कर सकती है। यह तो वोट आन एकाउंट है। दो मिनट के लिए मान लें कि बजट हो, तो जो भी सरकार वहां बन सकती है, वह जो चाहे परिवर्तन कर सकती है। इसलिए बोम्मई केस में विधान सभा िवसर्जन की इरविर्सबिल नेचर से इसका दूर-दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है। आपको याद होगा जब मणिपुर में राट्रपति शासन लागू किया, तो सब लोग चाहते थे कि वहां विधान सभा विसर्जित हो और चुनाव हों। तब भी हमने राट्रपति शासन का निर्णय मंत्रीपरिद की बैठक में किया, हमने विधान सभा विसर्जित नहीं की। दोनों सदनों में पास होने के बाद विधान सभा विसर्जित की गई। इसलिए इस नियम का पालन हम कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने यहां कहा कि यह वोट आन एकाउंट है। अब रही बात राट्रपति शासन की, जो आदेश है, वह दोनों सदनों में बजट या वोट आन एकाउंट पारित हो जाता है, बहुत अच्छा होगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वि वाद को बढ़ाना नहीं चाहता। हम जानते हैं कि जब से संसद का, 25 फरवरी से, सत्र शुरू हुआ है,

श्री मुलायम सिंह यादव : बीजेबी,बीएसपी मिलकर यदि सरकार बनानी है तो बना लो, हमें कोई एतराज नहीं है। कोई उप मुख्य मंत्री बन रहा है, कोई उप-राट्रपति बन रहा है, कोई मुख्य मंत्री तो कोई स्पीकर बनने का सौदा कर रहा है। हम भी खरीद-फरोख्त करके और मंत्रियों की लम्बी फौज बनाकर सरकार बना सकते हैं, लेकिन् ऐसा नहीं करेगें । हम उत्तर प्रदेश के साथ, देश के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। खरीद-फरोख्त से और मंत्रियों की लम्बी फौज से मुलायम सिंह सरकार बनाने वाला नहीं है। न उत्तर प्रदेश को लूटेंगें और न ही लूटने देंगें।

श्री प्रमोद महाजन : यह संसद से बाहर का मुद्दा है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने सोचा कि आपने ईल्ड किया, इसलिए वह कह रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : बाहर का मुद्दा आप बना रहे हैं। जब प्रधान मंत्री जी का प्रतिनिधि उप- मुख्य मंत्री बनना चाहता है, मुख्य मंत्री और स्पीकर तथा उप राष्ट्रपति बनने का सौदा हो रहा है तो प्रधानमंत्री जी कुछ ले लें और कुछ दे दें।

श्री प्रमोद महाजन : समाजवादी पार्टी पर मुलायम सिंह जी का एकाधिकार चलता है, यह मुझे मालूम है। लेकिन वे और पार्टियों पर भी अधिकार चलाना चाहते हैं। हम किस प्रकार राजनीति करें, उसके लिए भी आदेश दे रहे हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : नाटक क्यों कर रहे हैं। सौदागिरी हो रही है।

श्री प्रमोद महाजन : हम दोनों पार्टियों के राट्रीय अध्यक्षों को विचार करने के लिए कहेंगे। मैं यह कह रहा था कि आपने देखा होगा कि परम्परा का भी हमने पालन किया। दुर्भाग्य से जिस तरह इस सत्र के कई दिन ऐसे ही चले गए, इससे हमारा सारा काम रह गया। अभी हम रेल बजट तक भी नहीं पहुंचे हैं। इसलिए प्रोक्लेमेशन पहले लाना होता, पहले भी ले आते, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। इसलि कानून में, संविधान में और परम्परा में कोई गलती नहीं है। उसका पालन न करें, तो हम उत्तर प्रदेश में एक संवैधानिक संकट खड़ा करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि वह संकट न खड़ा करें।

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बजट को पास न करके, वोट आन एकाउंट को पास न करके, उत्तर प्रदेश में कोई अड़चन निर्माण हो, इसमें हमारा हित नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : हमारा भी नहीं है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : उनका भी नहीं है, सरकार का भी नहीं है। इसलिए सरकार ने इसको यहां रखा है। लेकिन बात यह है कि जैसा मंत्री जी ने भी कहा, अगर हम पहले यह प्रोक्लेमेशन एप्रूवल के लिए लाते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने भी इसको माना है। इसलिए मेरी चेयर से विनती है कि यह रूलिंग ऐसी है, जिसका सम्बन्ध संविधान से है, जिसका सम्बन्ध हमारे काम से है। अब यह बजट पास कराना है तो करा लें, मगर रूलिंग जो है, वह इसके पूरे अंगों को देखकर और जो चर्चा हुई है, उसको देखकर हो तो ठीक रहेगा।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : प्वाइंट ऑफ ऑर्डर आपने उठाया है तो जवाब भी आज ही अभी सुन लीजिए।â€¦ (व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL : Sir, if you are ready with the ruling, we are ready to receive it. ...(*Interruptions*)

श्री प्रमोद महाजन : उपाध्यक्ष महोदय, आपका निर्णय है। उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है लेकिन मैंने कहा कि प्रोक्लेमेशन पहले होता तो अच्छा होता। यह परम्परा की दृटि से है। कानूनी रुप से हम लोक सभा को इससे बांध नहीं सकते कि पहले प्रोक्लेमेशन पास होना चाहिए और बाद में वोट ऑफ एकाउंट होना चाहिए। हम सब संविधान से बंधे हैं और उसी से बंधे रहे, यह मेरी प्रार्थना है।

श्री शिवराज वी.पाटील : इस पर रुलिंग दे सकते हैं तो हम सुनने के लिए तैयार हैं।â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Hon. Members, the State of Uttar Pradesh has been brought under President's Rule by a Proclamation issued by the President of India under article 356 of the Constitution. As required under clause (3) of article 356, a copy of the Proclamation has already been laid on the Table of the House on 19 March, 2002. Under the Proclamation it has been declared that the powers of the legislature of the State of Uttar Pradesh shall be exercisable by or under the authority of Parliament. The Proclamation which was issued on 8 March, 2002 shall cease to operate at the expiration of two months, that is, with effect from 8 May, 2002, unless it is approved by Resolutions of both the Houses or it is revoked earlier.

The Budget of the State of Uttar Pradesh has been listed for discussion and voting today. As the House is aware, the current financial year ends on 31st March, 2002. If we do not discuss and pass the Budget (Vote on Account) of the State of Uttar Pradesh before the 31st March, 2002, there may be a financial crisis in the State. There have been several instances in the past when the Budgets (Vote on Account) of the States under President's Rule were passed before the approval of the Proclamation issued by the President in respect of those States.

I, therefore, rule out the point of order.

I shall now put the Demands for Grants on Account (Uttar Pradesh) for the year 2002-2003.

The question is :

> "That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh, on account, for or towards defraying the charges during the year ending on the 31st day of March, 2003, in respect of heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 1 to 28, 30 to 55, 58 to 73, 75 to 82 and 84 to 94."

The motion was adopted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I shall nowput the Supplementary Demands for Grants (Uttar Pradesh) for 2001-2002 to vote.

The question is :

> *"That the Supplementary sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper, be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges that will come in course of payment during the year ending 31st day of March, 2002 in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13 to 19, 21 to 24, 32, 36 to 38, 43, 47, 49, 50, 52, 59 to 62, 70, 71, 77, 79, 80, 84 to 86, 92 and 94."*

The motion was adopted.